NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 21-12-2025

विषय सूची

» लिव-इन रिलेशनशिप गैर-कानूनी नहीं है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

» "कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) में पर्यावरणीय उत्तरदायित्व स्वाभाविक रूप से शामिल है: सर्वोच्च न्यायालय"

» पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन

» बाल तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण

» सरकार CAPF में अग्निवीरों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% करेगी।

संक्षिप्त समाचार

» डॉपलर मौसम रडार

» नीदरलैंड

» ऑटोफैगी

» 'गरीब कैदियों को सहायता' योजना

» जीआई-टैग्ड इंदी नींबू (कर्नाटक) ने ओमान बाजार में प्रवेश किया

» टुंड्रा बायोम

» पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो (BoPS)

लिव-इन रिलेशनशिप गैर-कानूनी नहीं है: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

समाचार में

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि **लिव-इन रिलेशनशिप गैर-कानूनी नहीं है** और सहमति देने वाले वयस्कों को वैवाहिक स्थिति की परवाह किए बिना गरिमा एवं सुरक्षा के साथ साथ रहने का संवैधानिक अधिकार है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य अवलोकन

- **लिव-इन रिलेशनशिप अपराध नहीं है**: विवाह किए बिना साथ रहना भारत में किसी कानून का उल्लंघन नहीं है यदि दोनों साथी वयस्क हों और स्वतंत्र सहमति दें।
- **जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार**: न्यायालय ने बल दिया कि संविधान का अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को जीवन, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग भी शामिल हैं।
- **राज्य का संरक्षण का कर्तव्य**: जब वयस्क साथ रहने का निर्णय लेते हैं, तो राज्य का कर्तव्य है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, चाहे परिवार या समाज से खतरा क्यों न हो।
- **सामाजिक नैतिकता बनाम संवैधानिक नैतिकता**: न्यायालय ने स्पष्ट रूप से संवैधानिक नैतिकता को सामाजिक नैतिकता पर प्राथमिकता दी।
- **विवाह का साक्ष्यात्मक अनुमान**: न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 119(1) का उल्लेख किया।
  - इन प्रावधानों के अनुसार यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी के रूप में साथ रहते हैं, तो कानून उन्हें विवाहित मान सकता है।

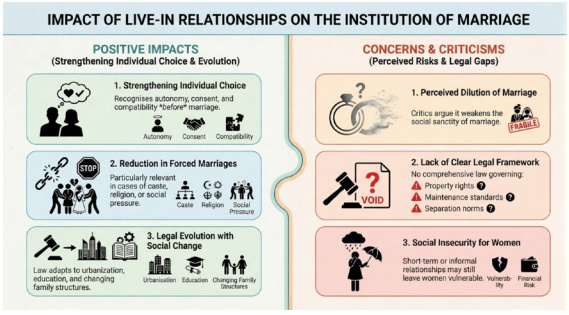

लिव-इन रिलेशनशिप पर प्रमुख उच्च न्यायालय के निर्णय

- **तुलसा बनाम दुर्गतिया (2008)**: लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों को अवैध नहीं माना जा सकता।
  - इससे बच्चों की विरासत और गरिमा सुनिश्चित होती है।
- **डी. वेलुसामी बनाम डी. पच्चैयम्मल (2010)**: न्यायालय ने घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत "विवाह के स्वरूप में संबंध" की अवधारणा स्पष्ट की।
  - शर्तें रखीं जैसे कि जोड़ा खुद को पति-पत्नी के रूप में प्रस्तुत करे, कानूनी आयु का हो और विवाह के लिए अन्यथा योग्य हो।
- **इंद्रा सरमा बनाम वी.के.वी. सरमा (2013)**: मान्यता दी कि लिव-इन रिलेशनशिप नैतिक रूप से विवादास्पद हो सकती है, लेकिन न्यायालयों को सामाजिक वास्तविकताओं से निपटना चाहिए।
- **शफीन जहां बनाम असोकन के.एम. (2018)**: न्यायालय ने कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा है।

Source: TOI

"कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) में पर्यावरणीय उत्तरदायित्व स्वाभाविक रूप से शामिल है: सर्वोच्च न्यायालय"

समाचार में

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) में पर्यावरणीय उत्तरदायित्व स्वाभाविक रूप से शामिल है।**

न्यायालय के मुख्य अवलोकन

- **संवैधानिक अभिकर्ता के रूप में निगम**: न्यायालय ने कहा कि निगम केवल लाभ कमाने वाली संस्थाएँ नहीं हैं, बल्कि समाज में संवैधानिक अभिकर्ता हैं।
  - कानूनी व्यक्तियों के रूप में, निगम मौलिक कर्तव्यों से बंधे हैं, विशेषकर संविधान के अनुच्छेद 51A(g) से।

- अनुच्छेद 51A(g) प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार, वन, झील, नदियों और वन्यजीवों का संरक्षण तथा जीवित प्राणियों के प्रति करुणा का आदेश देता है।

- **CSR संवैधानिक दायित्व है, दान नहीं**: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), विशेषकर पर्यावरणीय मामलों में, स्वैच्छिक परोपकार नहीं माना जा सकता।
- **वन्यजीव संरक्षण में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का प्रयोग**: न्यायालय ने उन मामलों में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत लागू किया जहाँ कॉरपोरेट गतिविधियाँ संकटग्रस्त प्रजातियों या आवासों को खतरे में डालती हैं या हानि पहुँचाती हैं, और निगमों को पुनर्स्थापन का वित्तीय भार उठाना होगा।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

- यह एक प्रबंधन ढाँचा है जो सामाजिक और पर्यावरणीय विचारों को व्यापार संचालन एवं हितधारकों के साथ अंतःक्रियाओं में एकीकृत करता है, जो समाज कल्याण के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- भारत में CSR की अवधारणा सर्वप्रथम 2009 में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक दिशानिर्देशों के माध्यम से प्रस्तुत की गई थी और बाद में 2011 में सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक उत्तरदायित्वों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों में परिष्कृत की गई।
- वित्त पर संसदीय स्थायी समिति की 21वीं रिपोर्ट ने वैधानिक CSR प्रावधानों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, यह बताते हुए कि वार्षिक खुलासे अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- परिणामस्वरूप, कंपनी अधिनियम, 2013 ने कुछ बड़ी कंपनियों, सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों के लिए CSR गतिविधियों पर अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% व्यय करना अनिवार्य कर दिया।

CSR पात्रता के मानदंड

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) और कंपनी (CSR नीति) नियम, 2014 के अनुसार, जिन कंपनियों की निवल संपत्ति ₹500 करोड़ एवं उससे अधिक है या टर्नओवर ₹1,000 करोड़ तथा उससे अधिक है या शुद्ध लाभ ₹5 करोड़ और उससे अधिक है, उन्हें विगत तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR गतिविधियों पर व्यय करना होगा।
- उल्लेखनीय है कि किसी कंपनी की होल्डिंग या सहायक कंपनी को CSR प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वह स्वयं धारा 135(1) में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा न करे।

CSR के अंतर्गत अनुमत गतिविधियाँ

- कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में उन गतिविधियों का उल्लेख है जिन्हें कंपनियाँ अपनी CSR गतिविधियों में शामिल कर सकती हैं।
- इनमें शामिल हैं:
  - भूख, गरीबी, कुपोषण का उन्मूलन
  - स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें निवारक स्वास्थ्य और स्वच्छता शामिल है
  - शिक्षा को बढ़ावा देना
  - लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना
  - पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, पारिस्थितिक संतुलन
  - राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति की रक्षा
  - सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ हेतु उपाय
  - ग्रामीण विकास परियोजनाएँ और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना
- वे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में भी योगदान कर सकते हैं जो सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए हो।

CSR का महत्व

- यह सामाजिक असमानताओं को दूर करके **समान विकास को बढ़ावा देता है।**
- यह पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है, जिसमें संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है।
- यह वार्षिक रिपोर्टों में CSR व्यय का खुलासा सुनिश्चित करता है।

- यह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और आजीविका पहलों का समर्थन करता है।
- यह कॉरपोरेट प्रयासों को **स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया** जैसी सरकारी अभियानों के साथ संरेखित करता है।

उभरते मुद्दे

- जबकि CSR खर्च में वृद्धि हुई है, परियोजनाओं के प्रभाव और निगरानी को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।
- **ग्रीनवॉशिंग जोखिम** हैं क्योंकि कुछ कंपनियाँ वास्तविक प्रभाव के बजाय दिखावे पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
- CSR निधियाँ अक्सर शहरी या औद्योगिक क्षेत्रों में केंद्रित होती हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा होती है।
- छोटी कंपनियाँ रिपोर्टिंग और नियामक आवश्यकताओं के साथ संघर्ष करती हैं।

निष्कर्ष

- भारत में CSR स्वैच्छिक दान से एक **कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी** में विकसित हुआ है, जो कॉरपोरेट लाभ को जनकल्याण से जोड़ता है।
- पर्यावरणीय स्थिरता, समान वितरण और जवाबदेही जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए CSR को अनुपालन से आगे बढ़कर **समावेशी और सतत राष्ट्रीय विकास के लिए एक रणनीतिक उपकरण** बनना होगा।

Source :TH

पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन

संदर्भ

- भारत ने नई दिल्ली में द्वितीय WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन की मेजबानी की।
  - सम्मेलन का विषय था "लोगों और पृथ्वी के लिए संतुलन पुनर्स्थापित करना: कल्याण का विज्ञान और अभ्यास।"

सम्मेलन के प्रमुख परिणाम

- **शुरू की गई पहलें:**
  - **माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल (MAISP):** आयुष क्षेत्र में सेवाओं, अनुसंधान और शासन के लिए एक प्रमुख डिजिटल पोर्टल।
  - **आयुष मार्क:** आयुष उत्पादों और सेवाओं के लिए एक वैश्विक गुणवत्ता मानक के रूप में परिकल्पित।
  - **ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी (TMGL):** पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भंडार।
- यह पहल गुजरात घोषणा (2023) पर आधारित है और WHO की ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी 2025–2034 के अनुरूप है।
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग की घोषणा, जिसमें BIMSTEC देशों के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र और पारंपरिक चिकित्सा में भारत–जापान साझेदारी शामिल है।
- सम्मेलन ने अनुसंधान, डेटा निर्माण और पारंपरिक चिकित्सा तक व्यापक पहुँच के लिए डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों और AI के उपयोग पर बल दिया।

पारंपरिक चिकित्सा क्या है?

- पारंपरिक चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण के लिए संहिताबद्ध या असंहिताबद्ध प्रणालियों को संदर्भित करती है, जिसमें विभिन्न ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों से उत्पन्न प्रथाएँ, कौशल, ज्ञान तथा दर्शन शामिल हैं।
- यह बायोमेडिसिन से अलग एवं उससे पहले की है, और अनुभव-आधारित उत्पत्ति से वर्तमान उपयोग के लिए विज्ञान के साथ विकसित हुई है।
  - पारंपरिक चिकित्सा प्रकृति-आधारित उपचारों और मन, शरीर एवं पर्यावरण के संतुलन को बहाल करने के लिए समग्र, व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर बल देती है।
  - WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर (GTMC) जामनगर, गुजरात में स्थित है।

- **भारत में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली**

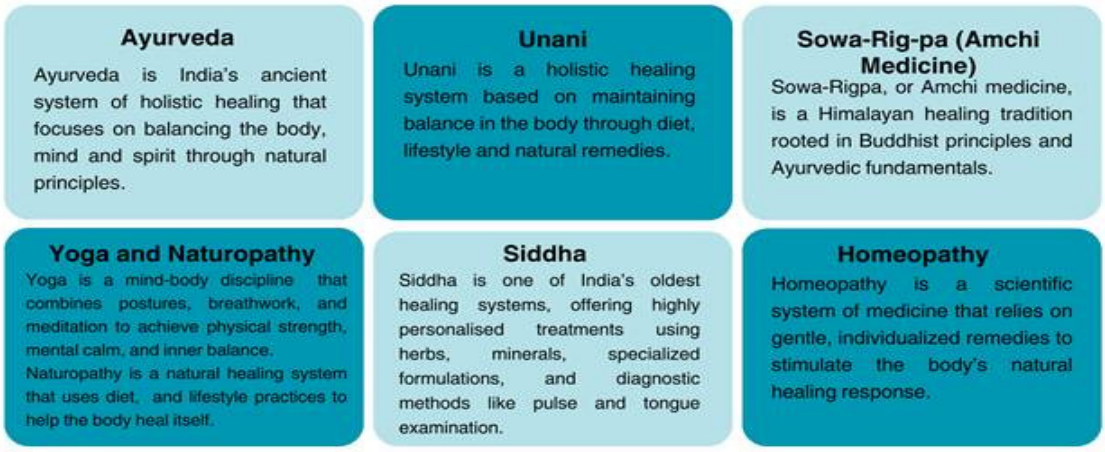

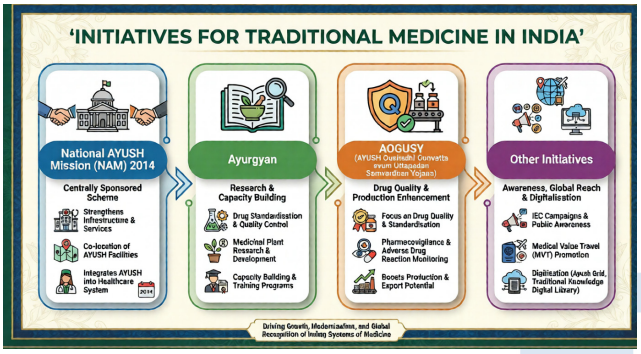

प्रथम WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन:

- भारत ने 2023 में गांधीनगर, गुजरात में प्रथम WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन की मेजबानी की।
- इसमें गुजरात घोषणा को अपनाया गया, जिसमें:
  - पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा (TCIM) पर साक्ष्य-आधारित वैश्विक प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की गई।
  - बेहतर डेटा और नियामक ढाँचे की माँग की गई।

Source: TH

बाल तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण

संदर्भ

- भारत में बाल तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण को सर्वोच्च न्यायालय ने एक **"गंभीर रूप से चिंताजनक वास्तविकता"** बताया तथा नाबालिग पीड़ितों की गवाही को संवेदनशीलता से समझने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

साक्ष्य की सराहना पर दिशा-निर्देश

- न्यायालयों को तस्करी किए गए बच्चे की गवाही को मामूली असंगतियों के कारण अस्वीकार नहीं करना चाहिए, विशेषकर जब इसमें आघात शामिल हो।
- यदि पीड़ित की गवाही विश्वसनीय और प्रभावशाली है, तो अकेली गवाही ही पर्याप्त है।
- तस्करी किए गए बच्चे को एक घायल गवाह के रूप में माना जाना चाहिए, न कि सह-अपराधी के रूप में।
- न्यायिक जांच को पीड़ित के बयान को "सामान्य मानव आचरण के विरुद्ध" कहकर अस्वीकार करने से बचना चाहिए, विशेषतः जब प्रतिरोध या विरोध में देरी हुई हो।

मानव/यौन तस्करी के कारण

- **गरीबी:** गरीबी में जी रहे व्यक्ति और परिवार तस्करों के झूठे वादों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जो बेहतर अवसर एवं आजीविका का लालच देते हैं।
- **जागरूकता की कमी:** कम साक्षरता स्तर और सीमित जागरूकता लोगों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, धोखे एवं शोषण के प्रति अधिक असुरक्षित बनाती है।
- **प्रवासन:** अनियमित प्रवासन, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों, तस्करों को ऐसे व्यक्तियों को निशाना बनाने का अवसर देता है जो अपने सहयोगी नेटवर्क से अलग हो जाते हैं।
- **कानून प्रवर्तन एजेंसियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण और भ्रष्टाचार** तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने की चुनौतियों को बढ़ा देता है।

यौन तस्करी के प्रभाव

- **मानवाधिकार उल्लंघन:** यौन तस्करी के शिकार लोग अपने मौलिक मानवाधिकारों, जैसे स्वतंत्रता, गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता के गंभीर उल्लंघन का सामना करते हैं।
- **असमानता का स्थायीकरण:** यौन तस्करी वर्तमान सामाजिक असमानताओं को सुदृढ़ करती है, विशेषकर महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समूहों के विरुद्ध, जिससे गरीबी और भेदभाव का चक्र जारी रहता है।
- **आर्थिक लागत:** तस्करी कार्यबल की क्षमता और आर्थिक विकास को कमजोर करती है।

भारत में संवैधानिक सुरक्षा

- **अनुच्छेद 23:** मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है।
- **अनुच्छेद 21:** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है, जिसे गरिमा के साथ जीने के अधिकार के रूप में भी व्याख्यायित किया गया है।
- **अनुच्छेद 39(e):** राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों और बच्चों का स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो, तथा नागरिकों को ऐसे कार्य करने के लिए मजबूर न किया जाए जो उनकी आयु या शक्ति के अनुरूप न हों।

तस्करी विरोधी अपराधों को नियंत्रित करने वाले कानून

- **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956:** अनैतिक तस्करी और यौन कार्य को रोकने के लिए लक्षित। इसमें 1978 एवं 1986 में दो संशोधन हुए।
- **बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986:** बच्चों को कुछ रोजगारों में भाग लेने से रोकता है और अन्य क्षेत्रों में कार्य की शर्तों को नियंत्रित करता है।
- **बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976:** उन श्रम प्रणालियों को प्रतिबंधित करता है जहाँ लोग, बच्चों सहित, ऋण चुकाने के लिए दासता जैसी परिस्थितियों में कार्य करते हैं, और मुक्त श्रमिकों के पुनर्वास के लिए ढाँचा प्रदान करता है।
- **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015:** उन बच्चों से संबंधित कानूनों को नियंत्रित करता है जिन्हें कानून के साथ संघर्ष में पाया गया है।
- **बाल यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012:** बच्चों के वाणिज्यिक यौन शोषण को रोकने का प्रयास करता है।
- भारत ने 2007 में **मानव तस्करी विरोधी इकाइयाँ (AHTUs)** स्थापित कीं। AHTUs का कार्य है:
  - कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया में वर्तमान अंतराल को संबोधित करना,
  - पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना जो पीड़ित/जीवित बचे व्यक्ति के 'सर्वोत्तम हित' को सुनिश्चित करे,
  - पीड़ित की द्वितीयक पीड़ितकरण/पुनः पीड़ितकरण को रोकना, और तस्करों पर डेटाबेस विकसित करना।
- **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013:** भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को संशोधित किया, जो किसी व्यक्ति को दास के रूप में खरीदने और बेचने से संबंधित है, ताकि मानव तस्करी की अवधारणा को शामिल किया जा सके।

आगे की राह

- **आर्थिक सशक्तिकरण:** कमजोर जनसंख्या के लिए सतत आजीविका के अवसर और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना, जिससे तस्करी की ओर ले जाने वाले आर्थिक दबाव कम हों।
- **पीड़ित पुनर्वास और समर्थन:** व्यापक पुनर्वास योजनाएँ विकसित करना जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समर्थन प्रदान करें, जीवित बचे लोगों के लिए आवश्यक है।
- **अंतरराष्ट्रीय सहयोग:** सीमा-पार साझेदारी को सुदृढ़ करना और खुफिया जानकारी साझा करना उन तस्करी नेटवर्कों को ध्वस्त करने में सहायता कर सकता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं।

Source: TH

सरकार CAPF में अग्निवीरों के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% करेगी।

संदर्भ

- गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की ग्रुप C पदों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए आरक्षण को मौजूदा 10% से बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया है।

अग्निपथ योजना

- सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी ताकि पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों को तीनों सेनाओं में अधिकारी पद से नीचे के कैडर में चार वर्षों की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जा सके।
- **पात्रता**: 17.5 से 21 वर्ष की आयु के उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- **प्रशिक्षण**: अग्निवीरों को अनुकूलित बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण और विशेष ट्रेड प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद आवश्यकता अनुसार कौशल-वृद्धि पाठ्यक्रम होंगे।
- **स्थायी कैडर में नामांकन:** संगठनात्मक आवश्यकता और सशस्त्र बलों द्वारा जारी नीतियों के आधार पर, अग्निवीरों को अपनी सेवा अवधि पूरी करने के बाद स्थायी कैडर में नामांकन के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा।
  - इनमें से अधिकतम 25% अग्निवीरों को नियमित कैडर के रूप में सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- अग्निवीरों को एक अनुकूलित मासिक पैकेज मिलेगा जिसमें जोखिम और कठिनाई भत्ते शामिल होंगे। इसमें 30% राशि अग्निवीर कोष में जमा होगी, जिसे सरकार द्वारा मिलान किया जाएगा।
- चार वर्षों के बाद उन्हें कर-मुक्त सेवानिधि पैकेज (संचित ब्याज सहित) दिया जाएगा, जो लगभग ₹11.71 लाख होगा।
- अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी सेवा अवधि के दौरान ₹48 लाख का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
- उन्हें ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभ का अधिकार नहीं होगा।

निर्णय का महत्व

- **रोजगार आश्वासन:** यह निर्णय अग्निवीरों के लिए सेवा-उपरांत रोजगार मार्गों को सुदृढ़ करता है, जो योजना की एक प्रमुख चिंता थी।
- **संचालन तत्परता:** CAPFs को युवा, प्रशिक्षित और अनुशासित कर्मियों का लाभ मिलेगा जिनके पास पूर्व सैन्य अनुभव होगा।
- **संस्थागत एकीकरण:** यह सशस्त्र बलों और CAPFs के बीच मानव संसाधन योजना में अभिसरण को बढ़ाता है।

चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **खुले प्रतिस्पर्धा पर प्रभाव:** आरक्षण को 50% तक बढ़ाने से नागरिक अभ्यर्थियों के बीच चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- **CAPFs में समानता:** संशोधनों को धीरे-धीरे अधिसूचित किया जाएगा, जिससे स्थिरता और समयसीमा पर प्रश्न उठ सकते हैं।
- **प्रशिक्षण और भूमिका अनुकूलन:** CAPFs की जिम्मेदारियाँ सैन्य भूमिकाओं से भिन्न होती हैं, जिसके लिए सावधानीपूर्वक प्रवेश और पुनः प्रशिक्षण आवश्यक है।

आगे की राह

- CRPF, CISF, ITBP, SSB और असम राइफल्स सहित सभी CAPFs में समान रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- पूर्व-अग्निवीरों के लिए रोजगार सुरक्षा और नागरिक भर्ती में निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाना।
- सैन्य कौशल को आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग भूमिकाओं के साथ संरेखित करने के लिए ब्रिज प्रशिक्षण मॉड्यूल को सुदृढ़ करना।

- भर्ती परिणामों और संचालन प्रभावशीलता के आधार पर नीति की समय-समय पर समीक्षा करना।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

डॉपलर मौसम रडार

समाचार में

- भारत सरकार ने संसद को सूचित किया कि देशभर में वर्तमान में **47 डॉपलर वेदर रडार (DWRs)** संचालित हैं, जो भारत के लगभग 87% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करते हैं।

डॉपलर वेदर रडार (DWR) क्या है?

- इसका नाम **डॉपलर प्रभाव** पर रखा गया है, जिसे क्रिश्चियन डॉपलर ने खोजा था।
- जैसे ट्रेन की सीटी पास आने पर ऊँची और दूर जाने पर नीची सुनाई देती है।
- DWR में रेडियो तरंगों की आवृत्ति/फेज़ में परिवर्तन मौसम प्रणालियों की गति का निर्धारण करने में सहायता करता है।
- डॉपलर वेदर रडार एक उन्नत मौसम विज्ञान उपकरण है जिसका उपयोग किया जाता है:
  - वर्षा (बारिश, बर्फ, ओले) का पता लगाने में
  - बादलों और तूफानों की गति का पता लगाने में
  - वर्षा की तीव्रता का अनुमान लगाने में
  - अत्यधिक मौसम घटनाओं के लिए अल्पकालिक पूर्वानुमान (Nowcasting) प्रदान करने में

डॉपलर वेदर रडार कैसे काम करता है?

- रडार एंटीना से रेडियो तरंगों की पल्स उत्सर्जित करता है।
- जब ये तरंगें वायुमंडलीय कणों (बारिश की बूंदें, हिमकण, ओले) से टकराती हैं, तो ऊर्जा का एक हिस्सा वापस रडार तक परावर्तित होता है।
- सिग्नल को लौटने में लगे समय से वर्षा की दूरी की गणना की जाती है।

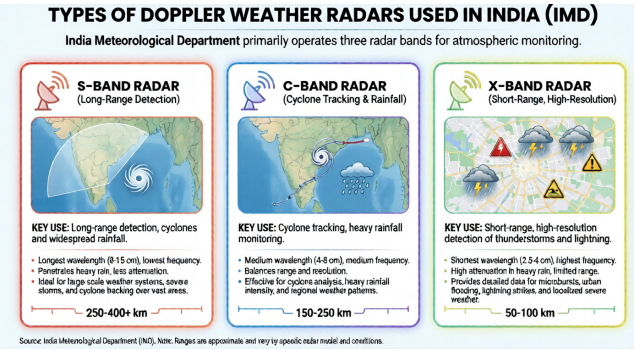

स्रोत: TH

नीदरलैंड्स

संदर्भ

- भारत के रक्षा मंत्री ने नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री से भेंट की और दोनों देशों के बीच सुदृढ़ और लगातार बढ़ती रक्षा साझेदारी की पुनः पुष्टि की।

नीदरलैंड्स

- **अवस्थिति:** उत्तर-पश्चिमी यूरोप, जर्मनी और बेल्जियम की सीमा से लगा हुआ; उत्तरी सागर तट।

- **नाम का अर्थ:** नीदरलैंड्स का अर्थ है "निम्न देश।"
- **राजनीतिक प्रणाली:** संसदीय लोकतंत्र के साथ संवैधानिक राजतंत्र।
- **बंदरगाह:** नीदरलैंड्स में स्थित **रॉटरडैम बंदरगाह** यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह और वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार है।

स्रोत: TH

ऑटोफैगी

संदर्भ

- जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च (JNCASR) के शोधकर्ताओं ने ऑटोफैगी के शुरुआती चरणों में शामिल एक महत्वपूर्ण प्रोटीन कॉम्प्लेक्स (एक्सोसिस्ट कॉम्प्लेक्स) की खोज की।

ऑटोफैगी क्या है?

- ऑटोफैगी एक मौलिक कोशिकीय प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोशिकाएँ क्षतिग्रस्त ऑर्गेनेल्स, गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन और रोगजनकों को विघटित एवं पुनर्चक्रित करती हैं।
- इसे अक्सर **"स्वयं-भक्षण"** कहा जाता है, और यह कोशिकीय संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है, विशेषकर लंबे समय तक जीवित रहने वाली कोशिकाओं जैसे न्यूरॉन्स में।
- इस प्रक्रिया में **डबल-झिल्ली वाले वेसिकल्स (ऑटोफैगोसोम)** का निर्माण शामिल है, जो कोशिकीय अपशिष्ट को निगलते हैं और विघटन के लिए लाइसोसोम तक पहुँचाते हैं।

ऑटोफैगी और रोग संबंध

- **तंत्रिका अपक्षयी रोग:** ऑटोफैगी में व्यवधान अल्ज़ाइमर, पार्किंसन और हंटिंगटन रोगों से जुड़ा है, जहाँ अपशिष्ट सफाई तंत्र विफल हो जाते हैं।
- **कैंसर:** प्रारंभिक चरणों में, ऑटोफैगी जीनोम अखंडता और कोशिकीय संतुलन बनाए रखकर ट्यूमर को दबाने का कार्य करती है।
  - **उन्नत कैंसर में:** ट्यूमर कोशिकाएँ तनाव से बचने और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ऑटोफैगी का उपयोग कर सकती हैं, जिससे यह एक **दोहरी धार वाली तलवार** बन जाती है।

Source: PIB

'गरीब कैदियों को सहायता' योजना

समाचार में

- गृह मंत्रालय (MHA) ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा **'गरीब कैदियों को सहायता' योजना** के अपर्याप्त क्रियान्वयन के कारण इसके दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।
  - यह योजना उन गरीब कैदियों को राहत देने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखती है, जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण जुर्माना न भर पाने की वजह से जमानत या जेल से रिहाई प्राप्त नहीं कर पाते।

संशोधित ढाँचा

- संशोधित ढाँचे में निश्चित समयसीमा तय की गई है और संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने तथा शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी अनिवार्य की गई है।
- जिला स्तर पर सशक्त समितियाँ, जिनमें जिला कलेक्टर के नामित सदस्य और जेल प्रभारी न्यायाधीश शामिल होंगे, पात्र मामलों की जाँच एवं अनुमोदन करेंगे।
- जेल अधीक्षक को मामलों की रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) सचिव को देनी होगी, जो वित्तीय स्थिति की पुष्टि करेगा और रिहाई को सुगम बनाने के लिए ₹25,000 तक की सहायता की सिफारिश करेगा; इसी तरह की व्यवस्था पात्र विचाराधीन कैदियों पर भी लागू होगी।
- **अपवाद:** यह योजना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम, मादक द्रव्य और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, और गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत आरोपित व्यक्तियों तथा भविष्य में अधिसूचित अन्य कानूनों के अंतर्गत आरोपित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।
  - लाभ उन लोगों को भी नहीं मिलेगा जो गंभीर अपराधों जैसे दहेज हत्या, बलात्कार, मानव तस्करी और बाल यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम के अंतर्गत आरोपित हैं।

स्रोत: TH

जीआई-टैग्ड इंदी नींबू (कर्नाटक) ने ओमान बाजार में प्रवेश किया

समाचार में

- भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा मिला है क्योंकि विजयपुरा, कर्नाटक से 3 मीट्रिक टन **जीआई-टैग्ड इंदी नींबू** का निर्यात ओमान को किया गया।

इंदी नींबू

- इंदी नींबू अपनी विशिष्ट सुगंध, उच्च रस सामग्री और लंबी शेल्फ लाइफ के लिए जाना जाता है।
- यह उत्तरी कर्नाटक की कृषि विरासत का प्रतिनिधित्व करता है।
- इंदी नींबू की जीआई स्थिति ने वैश्विक बाजारों में इस फल को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- ओमान को जीआई-टैग्ड इंदी नींबू का निर्यात **भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA)/मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करना और भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुँच का विस्तार करना है।

क्या आप जानते हैं?

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) जीआई-टैग्ड कृषि उत्पादों के प्रचार, ब्रांडिंग एवं निर्यात को सक्रिय रूप से समर्थन दे रहा है।
- यह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्षेत्र-विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व को मान्यता देता है, साथ ही वैश्विक गुणवत्ता और फाइटोसैनिटरी मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करता है।

स्रोत: PIB

टुंड्रा बायोम

समाचार में

- आर्कटिक अलास्का से हाल ही में किए गए एक वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि **टुंड्रा बायोम में जंगल की आग विगत 100 वर्षों में पहले से कहीं अधिक बार हुई है, यहाँ तक कि विगत 3,000 वर्षों में भी नहीं।**

टुंड्रा बायोम के बारे में

- **सारांश:** टुंड्रा एक ठंडा, वृक्षहीन बायोम है जो उच्च-अक्षांश (आर्कटिक) और उच्च-ऊँचाई (एल्पाइन) क्षेत्रों में पाया जाता है। "टुंड्रा" शब्द एक फिनिश शब्द से आया है जिसका अर्थ है "वृक्षहीन मैदान।"
- **प्रकार:**
  - **आर्कटिक टुंड्रा:** उत्तरी अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया में पाया जाता है।
  - **एल्पाइन टुंड्रा:** ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों (हिमालय, एंडीज, रॉकीज़) में पाया जाता है। यहाँ पर परमाफ्रॉस्ट नहीं होता, लेकिन अत्यधिक ठंड होती है।
- **जलवायु विशेषताएँ:**
  - तापमान: अत्यधिक कम; सर्दियों में −30°C से −50°C तक पहुँच सकता है।
  - वर्षा: बहुत कम (150–250 मिमी/वर्ष)।

स्रोत: TH

पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो (BoPS)

समाचार में

- गृह मंत्री ने देशभर में जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक समर्पित **पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो (BoPS)** की स्थापना की पहल करने हेतु उच्च-स्तरीय बैठक आयोजित की।

पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो (BoPS)

- इसे हाल ही में अधिसूचित **मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 2025** की धारा 13 के अंतगर्त एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- यह **बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय** के अधीन कार्य करेगा।
- इसका नेतृत्व एक IPS अधिकारी (पे लेवल-15) के पद पर महानिदेशक करेंगे और इसे **नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS)** की तर्ज पर मॉडल किया जाएगा।
  - प्रारंभिक एक वर्ष की संक्रमण अवधि के दौरान, शिपिंग महानिदेशक पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे।
- यह जहाजों और बंदरगाह अवसंरचना की सुरक्षा से संबंधित नियामक निरीक्षण और समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा।
- यह सुरक्षा-संबंधी जानकारी के समय पर संग्रह, विश्लेषण और आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित करेगा, विशेष रूप से **साइबर सुरक्षा** पर बल दिया जाएगा।

स्रोत: TH

■■■■